

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

क्र०	विवरण	
7	परियोजना/स्कीम का स्थान	जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत परिवहन विभाग के कार्यालय, अन-आवासीय भवन, ड्रईविंग टैस्टिंग ट्रैक तथा ट्रैफिक अवेयरनेस सैन्टर के निर्माण हेतु
i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	राज्य उत्तराखण्ड
ii)	ज़िला	बागेश्वर
iii)	वन प्रभाग	बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	0.74 हैक्टेयर
v)	वन की कानूनी स्थिति	पंचायतीय वन, सिविल सोयम वन भूमि
vi)	हरियाली घनत्व	0.2/Eco Class-V
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाइ/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए	संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदन शीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भूक्षरण की सम्भावना नहीं है
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन की सीमा से अनुमानित दूरी 0.500 मीटर
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबन्धित की जाए)	नहीं
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक सिल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा के सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण -पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो या	नहीं प्रपत्र संलग्न है।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	संलग्न है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं प्रपत्र संलग्न है।

10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-	
i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास के वन क्षेत्र इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	प्रपत्र संलग्न है।
ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अवकमित वन क्षेत्र, आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रपत्र संलग्न है।
iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि	प्रपत्र संलग्न है।
iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय	प्रपत्र संलग्न है।
v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रपत्र संलग्न है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7(xi,xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	प्रपत्र संलग्न है।
12	प्रभाग/जिला प्रोफाइल	
i)	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	2,31,000 है०
ii)	जिला का वन क्षेत्र	1,07,400 है०
iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र	404 मामले 1,453.2083 है०
iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	1,315.278 है०
क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
ख)	वनेत्तर भूमि पर तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	-
क)	वन भूमि पर	1,081.000 है०
ख)	वनेत्तर भूमि पर	234.272 है०
7	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	संस्तुति हेतु अग्रसारित।

दिनांक 28/06/2022

स्थान 21.1.21

हस्ताक्षर

(हिमांशु बागरी)

प्रभागिय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर
बागेश्वर